



वार्षिक प्रशासनिक
प्रतिवेदन
वर्ष 2005—2006

मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग



वार्षिक प्रशासनिक
प्रतिवेदन
वर्ष 2005—2006

मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2005-2006

मंत्रालय

मंत्री	— श्री राघव जी	— 08-12-2003 से निरन्तर
अपर मुख्य सचिव	— श्रीमती माला श्रीवास्तव	— 14-02-2005 से 25-05-2005
अपर मुख्य सचिव	— श्री अमर सिंह	— 25-05-05 से 1.2.2006
सचिव	— श्री ए.पी.श्रीवास्तव	— 31.1.2006 से निरन्तर
उप सचिव	— श्री ए. के. श्रीवास्तव	— 14-07-05 से निरन्तर
वरिष्ठ शोध अधिकारी	— श्री आर. के. दीक्षित	— 04-09-2002 से निरन्तर
अवर सचिव	— श्री आर.के.दीक्षित	— 04-03-2003 से 09-02-2005
अवर सचिव	— श्री ए. के. भट्ट	— 10-02-2005 से 31-12-2005
संचालक	— श्री जी. जायसवाल	— 05-11-2004 से 31-12-2005
	— डॉ. ओ. पी. पाठक	— 01-01-2006 से निरन्तर

विषय सूची

	पृष्ठ
अध्याय – 1 – योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	01
अध्याय – 2 – राज्य योजना मण्डल	07
अध्याय – 3 – आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	19
परिशिष्ट – एक – राज्य योजना मण्डल का स्वरूप	45
परिशिष्ट – दो – राज्य योजना मण्डल में स्वीकृत एवं भरे हुए पदों की स्थिति	46
परिशिष्ट – तीन – आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में स्वीकृत एवं भरे हुए पदों की स्थिति	47
परिशिष्ट – चार – आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय में कार्यरत तकनीकी एवं प्रशासनिक संभागों के कार्यों का विवरण	49

योजना, आर्थिक एवं
सांख्यिकी विभाग

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006

अध्याय-1

1. विभाग की प्रशासनिक संरचना -

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की गतिविधियां निम्नलिखित विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा संपादित की जाती हैं :

1. राज्य योजना मंडल
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

2. विभागाध्यक्ष -

(1) राज्य योजना मंडल -

राज्य योजना मंडल, जो योजना निर्माण हेतु गठित शीर्ष राज्य स्तरीय संस्था है, के माननीय मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष हैं । राज्य योजना मंडल में एक कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा 9 अंशकालिक सदस्य हैं ।

(2) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय -

राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समकों के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं एकत्रित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्य को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं ।

3. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय -

1. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन
2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं हैं, सहित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन ।
3. भावी योजना बनाने, जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना है ।
4. सम्पूर्ण राज्य के लिये, साथ ही विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिये सेक्टरों में विकास के स्तर का निर्धारण ।
5. पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय उद्देश्य की दृष्टि से राज्य के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण ।

6. स्थानिक और क्षेत्रीय (सेक्टरल) योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना मंडल में संगत समन्वय करना ।
7. योजना प्रगति का परीक्षण, मूल्यांकन और योजना से संगत जानकारी एकत्रित करना ।
8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।
9. योजना मंडल से संबंधित समस्त विषय ।
10. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर सांख्यिकी तथा आर्थिक अन्वीक्षा से संबंधित समस्त विषय ।
11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्वीक्षा ।
12. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार तथा उसके परिणामों का प्रकाशन ।
13. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर संगणक केन्द्र से संबंधित समस्त विषय ।
14. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड, अभ्यावेदन तथा अपीलें) ।

4. विभाग के अंतर्गत प्रचलित अधिनियम तथा नियम –

1. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19, सन् 1995)
2. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995
3. मध्य प्रदेश जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य, सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995
4. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति (यात्रा भत्ता) नियम, 1995
5. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1999
6. औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948) तथा सांख्यिकी अधिनियम, 1953
7. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं उसके अंतर्गत स्थापित नियम
8. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999

5. विभाग के अधीन सेवाओं के नाम

1. मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल सेवा ।
2. मध्य प्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा ।

6. वित्तीय प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 2005-2006 में स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :-

(लाख रूपयों में)

क्र.	कार्यालय	स्वीकृत बजट प्रावधान 2005-2006	पुनरीक्षित अनुमान 2005-2006	व्यय 2005-2006 (30-09-2005 की स्थिति)	प्रस्तावित बजट 2006-2007
1	2	3	4	5	6
1. राज्य योजना मंडल					
	(अ) राज्य योजना मंडल	172.35	-	49.77	138.70
	(ब) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	13860.00	-	1785.34	13860.00
	(स) जनभागीदारी योजना	4926.09	-	1510.63	5636.00
2.	आर्थिक एवं सांख्यिकी	1868.40	1840.29	1129.93	1951.50
	(भारित)	0.10	0.10	0.10	0.10
	महायोग	20826.94	1840.39	4475.77	21586.3

नोट : राज्य योजना मण्डल के वर्ष 2004-05 में व्यय की स्थिति 30-09-2004 की है ।

विस्तृत विवरण संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय के कार्य-कलापों की टीप के साथ दिया गया है ।

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण -

विभाग के अंतर्गत कोई अन्य संस्थाएं नहीं हैं ।

राज्य योजना मंडल

अध्याय – 2

(1) राज्य योजना मण्डल

विभागीय संरचना

राज्य के योजनाबद्ध तरीके से सर्वांगीण विकास, राज्य संसाधनों के मूल्यांकन एवं उनका प्रभावी उपयोग सामाजिक, आर्थिक विकास की राह में आने वाली रूकावटों को दूर करने, योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सतत अनुश्रवण, मूल्यांकन व पुनरावलोकन के उद्देश्य से राज्य योजना मंडल का गठन दिनांक 24-10-1972 को एक संकल्प द्वारा किया गया। वर्ष 1979-80 में इसके स्वरूप में आंशिक संशोधन हुआ, कालान्तर में 5 मार्च 1994 के पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त कर राज्य योजना मंडल का पुर्नगठन किया गया तथा दिनांक 31-01-1997 के द्वारा इसका स्वरूप निर्धारित किया गया जो, वर्तमान में प्रभावशील है।

पुनर्गठित मध्यप्रदेश राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष के स्वीकृत पद वर्तमान में रिक्त है इसके अतिरिक्त अंशकालीन सदस्य मनोनीत किये जाते हैं, जो अपने कार्य क्षेत्र के अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञ होते हैं। वर्तमान में अंशकालीन सदस्यों की संख्या 9 है। (परिशिष्ट-एक)

मुख्यालय राज्य योजना मंडल कार्यालय भोपाल में स्वीकृत प्रशासकीय अमला पदस्थ है। (परिशिष्ट-दो)

2. राज्य योजना मंडल के दायित्व

1. राज्य के संसाधनों का मूल्यांकन करना, उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग के लिये योजनाएं बनाना।
2. जिला योजना अधिकारियों को जिला योजनाएं तैयार करने में सहायता करना, जिससे कि उन्हें उपयुक्त रूप से राज्य योजना ढांचे में सम्मिलित किया जा सके।
3. उन कारणों को ज्ञात करना जिससे राज्य के समाजार्थिक विकास की रूकावटें आती हों और राज्य में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु उपाय सुझाना।
4. योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन करना और आवश्यकतानुसार नीतियों/उपायों में ऐसी समायोजनों की अनुशंसा करना।
5. योजना की प्राथमिकताएं निर्धारित करना।

3. विभागीय पदोन्नति

राज्य योजना मण्डल का जिला मुख्यालयों पर कोई अमला पदस्थ नहीं है। मुख्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति की कार्यवाही की गई है।

4. विभागीय जॉच

राज्य योजना मण्डल में किसी श्रेणी का विभागीय जॉच प्रकरण लंबित नहीं है ।

5. नियुक्ति/स्थानान्तरण

राज्य योजना मण्डल स्तर पर स्थानान्तरण नहीं किया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत बैकलाग के रिक्त पद की पूर्ति सीधी भरती एवं पदोन्नति से की गई है ।

6. न्यायालयीन प्रकरण

राज्य योजना मण्डल में कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है न ही प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, जवाबदावा प्रस्तुत करने या अन्य कार्यवाही के लिये कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

7. संसदीय कार्य/विधि विषयक

कोई विधेयक, शून्य कालीन सूचना लंबित नहीं है । 50 प्रश्नों के उत्तर प्रेषित किये गये जिनमें 34 तारांकित तथा 20 अतारांकित थे । एक प्रश्न का उत्तर भेजना शेष है । नियम 267-क के अधीन सूचना क्रमांक 70 का उत्तर एवं अशासकीय संकल्प क्रमांक 33 का उत्तर प्रेषित किया गया है । दो आश्वासनों की जानकारी भेजना शेष है ।

8. वेबसाईट

योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की वेबसाईट पर राज्य योजना मण्डल की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है । विभाग की वेबसाईट का Address: <http://www.mp.nic./des> है ।

9. जिला योजना समिति

**मध्यप्रदेश जिला योजना
समिति अधिनियम, 1995
प्रभावशील होने के पश्चात**

प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन किया गया । सभी जिलों में जिला योजना समितियाँ, सदस्य सचिव, कलेक्टर के मार्फत जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के अन्तर्गत कार्यरत है । कार्यालय प्रमुख के रूप में जिला योजना अधिकारी पदस्थ है । जिला योजना अधिकारी, जिलाध्यक्ष के अधीन कार्यरत है । राज्य शासन द्वारा जिला योजना

समिति कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालयों को एकीकृत किया जाकर जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय संस्थापित किये गये हैं ।

10. राज्य योजना मंडल के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियाँ

1. राज्य योजना प्रस्ताव तैयार करना

योजना आयोग, भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 के लिये प्रसारित दृष्टिकोण पत्र में निर्धारित लक्ष्यों/प्राथमिकताओं एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) का प्रतिवेदन तैयार किया गया। इसमें मुख्य प्राथमिकता कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई क्षमता का विस्तार, विद्युत क्षेत्र की मांग एवं पूर्ति में समतुल्यता लाना, जनसामान्य के लिये आधारभूत सामाजिक सेवाओं— शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अधोसंरचना विकास, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का विस्तार करना, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के कल्याण पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा गारन्टी योजना के द्वारा शिक्षा के लोकव्यापीकरण की पहल कर उसके विस्तार एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, जनभागीदारी योजना के माध्यम से जनता को योजनाओं के कार्यान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इस हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 हेतु रुपये 25737.25 करोड़ की निर्धारित की गई है। वार्षिक योजना 2005-06 हेतु रुपये 7471 करोड़ का परिव्यय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। वार्षिक योजना 2005-06 के अनुमोदित परिव्यय में से जिला योजना के लिए रुपये 2408 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए रुपये 9020 करोड़ का परिव्यय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। वार्षिक योजना 2006-07 के अनुमोदित परिव्यय में से जिला योजना के लिए रुपये 3095 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित है जो कुल योजना परिव्यय का 34.31 प्रतिशत है।

1. राज्य योजना की समीक्षा

2.

राज्य योजना मंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य योजना कार्यक्रमों की वित्तीय/ भौतिक समीक्षा करना है। वार्षिक योजना 2004-05 की समीक्षा की जा चुकी है।

1. जिला योजना

वर्तमान नियोजन प्रणाली में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास गतिविधियों में पूंजी निवेश के नियोजन का कार्य केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर ही सम्पादित होता है एवं राज्य स्तर के नीचे नियोजन कार्य के लिए व्यवस्था निर्मित नहीं हो सकी है। प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन तंत्र को जिला एवं निचले स्तर तक विकसित करने हेतु जिला योजना समितियों का गठन किया गया है, जो ग्रामीण (पंचायत) एवं शहरी (नगरीय संस्थाओं) क्षेत्र की योजना को समेकित कर जिले की समग्र विकास की योजना तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य की पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं से भी सह संबंध स्थापित कर, जिले की वार्षिक योजना तैयार की जाकर उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था भी की जायेगी। इस हेतु, जिला योजना मार्गदर्शिका बनाई गई है, जिसके अंतर्गत जिला एवं निचले स्तर से नियोजन प्रणाली, कार्य व्यवस्था, दीर्घकालीन विकास योजना, पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना तथा वित्तीय सहायता एवं बजट प्रावधान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2002-03 से जिला स्तर पर योजना तैयार की जाकर राज्य स्तर पर जिलेवार समीक्षा की गई। इसके लिए जिले के कलेक्टर, स्रोत साधकों एवं जिला योजना अधिकारियों अथवा प्रभारी अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। इसी के अनुरूप राज्य योजना मंडल द्वारा समस्त जिलों की जिलेवार योजना वर्ष 2006-07 तैयार की गई। जिलों की प्रस्तावित योजनाओं पर विभिन्न कार्यकारी दलों से तथा बाद में उपाध्यक्ष, राज्य योजना से चर्चा उपरान्त जिला योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश की वार्षिक योजना 2002-03 में जिला योजना हेतु रुपये 1600.00 करोड़, 2003-04 में रुपये 1633.60 करोड़, वार्षिक योजना 2004-05 के लिए रुपये 2029.84 करोड़, वर्ष 2005-06 के लिए रुपये 2408.46 करोड़ एवं वर्ष 2006-07 के लिए 3095.00 करोड़ की योजना सीमा अनुमोदित की गयी है।

2. जिला योजना समिति

संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों का गठन तथा नगरीय निकायों को भी जीवंत स्वरूप दिया गया है। जिले एवं निचले स्तर से नियोजन कार्य के लिए व्यवस्था निर्मित करने के लिए राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 य घ के अंतर्गत जिला योजना समितियों का प्रावधान किया गया है, जिनके अध्यक्ष राज्य शासन के द्वारा नामांकित मंत्री हैं। समिति में जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य सहित 10 से 20 सदस्य होंगे। जिलाध्यक्ष, समिति के सदस्य सचिव हैं। इसके अतिरिक्त, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के सदस्य विशेष आमंत्रित के रूप से समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होते हैं। जिला योजना समिति अपने कर्तव्यों निर्वहन के लिए उप-समितियों गठित कर सकेगी। विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित यह उप समितियाँ उन क्षेत्रान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों/ प्रयासों की निरन्तर समीक्षा एवं मानीटरिंग करने के साथ-साथ अपने विषयों से संबंधित सुझाव दे सकेगी। जिला योजना समितियों के निम्नलिखित कृत्य हैं :-

1. राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्देश्यों के ढांचे के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों का अभिनिर्धारण करना।
2. योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिए ठोस आंकड़ों का आधार सृजित करने हेतु जिले के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से सम्बन्धित जानकारी का संग्रहण, संकलन तथा उन्हें अद्यतन करना और जिले एवं विकास खण्ड के संसाधनों की रूपरेखा तैयार करना।
3. ग्राम, खण्ड तथा जिला स्तरों पर उपलब्ध सुविधाओं को सूचीबद्ध करना तथा उनका निरूपण करना।
4. उपलब्ध प्राकृतिक/मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय संगत उपयोग के विदोहन करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का अवधारण करना।
5. पंचायतों तथा नगरीय निकाय द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करते हुए जिले के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सामयिक तथा स्थान संबंधी आयामों के परिप्रेक्ष्य में जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
6. जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना।
7. जिले की योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन करना।
8. जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुए क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय परिव्ययों का आवंटन करना।
9. विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अन्तर्गत जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों जिनमें केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनायें भी सम्मिलित हैं, की प्रगति को मानीटर करना, उनका मूल्यांकन तथा पुनर्विलोकन करना।
10. जिला योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के सम्बन्ध में नियमित प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
11. ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण करना जिनमें संस्थागत वित्त पोषण किया जाना अपेक्षित है, उन्हें जिला योजनाओं के साथ समुचित रूप से संबद्ध करने के उपाय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें ऐसा वित्तीय विनियोजन अपेक्षित मात्रा में प्राप्त होता रहे।
12. विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित करना।

13. जिले के विकास की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले राज्य सेक्टर की स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना ।

14. कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा जिला योजना समिति को सौंपे जावें ।

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 में संशोधन कर अधिनियम की धारा-4.1 की अनुसूची में 3 नवीन जिलों यथा अशोक नगर, अनूपपुर एवं बुरहानपुर को शामिल किया गया तथा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जिला योजना समितियों की सदस्य संख्या का पुनर्निर्धारण किया गया ।

स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन उपरान्त वर्ष 2005 में प्रदेश के सभी जिलों में नवीन जिला योजना समितियों का पुनर्गठन किया गया ।

भाग - 2

1. बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में) –(सितम्बर 2005 की स्थिति में)

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट प्रावधान 2005-06	पुनरीक्षित अनुमान 2005-06	वास्तविक व्यय 30-9-05	बजट प्रावधान 2006-07 (प्रस्तावित)
1	2	3	4	5	6
मांग संख्या - 31 - शीर्ष - 3451					
1. राज्य योजना मण्डल					
(अ)	आयोजनेत्तर	125.10	—	49.77	138.70
(ब)	आयोजना	47.25	—	निरंक	0.00
योग-(1) आयोजनेत्तर		125.10	—	49.77	138.70
योग -(2) आयोजना		47.25	—	निरंक	0.00
योग - 1+2		172.35	—	49.77	138.70
2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र -शीर्ष-4515					
मांग संख्या-60 आयोजना		9360.00	—	349.32	9360.00
मांग संख्या-41 आयोजना		2460.00	—	695.46	2460.00
मांग संख्या-64 आयोजना		2040.00	—	740.56	2040.00
योग (2)		13860.00	—	1785.34	13860.00
3 जनभागीदारी योजना - शीर्ष- 4515					
मांग संख्या-60 आयोजना		287841	—	998.30	3269.00
मांग संख्या-41 आयोजना		149300	—	443.06	1716.00
मांग संख्या-64 आयोजना		55468	—	69.27	651.00
योग (3)		4926.09	—	1510.63	5636.00
महायोग (1+2+3)		18958.44	—	3345.74	7160.70

भाग—3

1. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :

(अ) राज्य योजनाएं :

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना :-

29 जुलाई, 1994 से प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना लागू की गई है । प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत रूपये 20 लाख की लागत के पूंजीगत प्रकृति के निर्माण कार्य अनुशासित करने का अधिकार दिया गया । राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001-02 में प्रति विधान सभा क्षेत्रवार राशि रूपये 20.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 40.00 लाख की गई तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 में यह राशि बढ़ाकर प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रु. 60.00 लाख की गयी। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है ।

(सितम्बर 2005 की स्थिति)

वर्ष	आवंटन (करोड़ रु. में)	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6
2004-05 (मार्च, 2005 तक)	92.40	9465	4832	3857	776
2005-06 (सित, 2005 तक)	138.60	2482	323	1047	1112

(ब) जनभागीदारी योजना

वित्तीय वर्ष 2000-01 से जनभागीदारी योजना प्रारंभ की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों को 50 प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्रों में 75 प्रतिशत राशि शासन के अंशदान के रूप में स्वीकृत की जाती है तथा शेष क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत राशि जनभागीदारी से प्राप्त होती है । जनभागीदारी अंशदान के रूप में मानव श्रम अथवा ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध संसाधनों (सामग्रीदान) की गणना की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों/ नगरीय निकायों की मूलभूत सेवाओं से संबंधित योजनाओं अथवा ऐसी योजनाएँ जो ग्रामवासियों के लिये उपयोगी हो ली जायेगी । गरीबों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के समुदायों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है ।

योजना के तहत वित्त वर्ष 2004-05 में रूपये 41.96 करोड़ का आवंटन जिलों को दिया गया । जिसमें से मार्च, 2005 तक रूपये 33.33 करोड़ (जनभागीदारी से प्राप्त राशि सहित) व्यय हुए । वर्ष 2005-06 के लिये जिलों को आवंटित रूपये 49.26 करोड़ के विरुद्ध सितम्बर, 2005 तक रूपये 15.11 करोड़ (जनभागीदारी राशि से हुए व्यय सहित) व्यय हुए, जिसमें रूपये 8.54 करोड़ शासन अंश सम्मिलित है । वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण नीचे दिया है :-

(सितम्बर, 2005 की स्थिति)

वर्ष	आवंटन (करोड़ रु. में)	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6
2004-05	41.96	2308	1364	867	77
2005-06	49.260	903	220	493	190

(स) केन्द्र प्रवर्तित / क्षेत्रीय योजनाएं

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :

भारत सरकार द्वारा 23, दिसम्बर, 1993 से आरम्भ की गई सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये के स्थानीय महत्व के निर्माण कार्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनुशंसित करने का अधिकार दिया गया । वर्ष 1998-99 से यह राशि बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है । प्रतिवर्ष, प्रति सांसद रुपये 2 करोड़ के मान से, आवंटन एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी निर्देश सीधे भारत सरकार से जिलों को प्राप्त होते हैं । राज्य शासन द्वारा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के साथ ही योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है ।

प्रदेश में, वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृत कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :-

(सितम्बर, 2005 की स्थिति)

वर्ष	आवंटन (करोड़ रु. में)	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6
2004-05	77.00	4141	2285	1295	561
2005-06	32.00	1629	186	1030	413

भाग-4

प्रशासनिक विषय : निरंक

भाग-5

अभिनव योजना : निरंक

भाग—6

प्रकाशन : निरंक

भाग—7

सारांश

- राज्य को योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से सर्वांगीण विकास के लिये 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002—07) के अंतिम वर्ष 2006—07 को अंतिम रूप दिया गया । विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, जनभागीदारी योजना के तहत प्रदेश में विकास हेतु राशि उपलब्ध करायी गई ।
- योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वार्षिक योजना के लिए रूपये 9020 करोड़ का योजना परिव्यय अनुमोदित किया गया ।
- जनभागीदारी योजना के माध्यम से जनता की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है ।
- चालू वर्ष में 2482 कार्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये, जिनमें से 323 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं, 1047 कार्य प्रगति पर हैं, 1112 कार्य प्रारंभ की प्रक्रिया में हैं ।
- जनभागीदारी योजना के तहत चालू वर्ष में उपलब्ध कराये गये कुल आवंटन 49.26 करोड़ के तहत 903 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 220 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 493 कार्य प्रगति पर है ।
- विकास की यात्रा सतत प्रक्रिया है जिसमें जनभागीदारी के सहयोग व सक्रिय भागीदारी, जागरूकता से गति आई है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

अध्याय – 3

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

भाग – 1

विभागीय संरचना :

राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर संमकों का एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्य को संपादित करने हेतु राज्य/जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ है। मुख्यालय पर 08 प्रथम श्रेणी अधिकारी, 25 द्वितीय श्रेणी अधिकारी, 323 तृतीय श्रेणी कर्मचारी/अधिकारी एवं 57 चतुर्थ श्रेणी के पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 31-12-05 की स्थिति में 12 प्रथम श्रेणी, 11 द्वितीय श्रेणी, 278 तृतीय श्रेणी तथा 55 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत है। यह अमला संचालनालय के 16 संभागों में विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता है। प्रत्येक संभाग द्वारा संपादित कार्यों का विवरण परिशिष्ट –चार में दर्शाया गया है।

विभागीय पदोन्नतियाँ :

दिनांक 01-01-05 से 31-12-05 की अवधि में प्रथम श्रेणी के 4, द्वितीय श्रेणी के 11, तृतीय श्रेणी के 24 तथा चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारियों की पदोन्नतियां हुई है।

विभागीय नियुक्तियाँ :

दिनांक 01-01-2005 से 30-12-2005 की अवधि में बैकलाग की पूर्ति के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के 2 अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी के दो कर्मचारियों की भर्ती की गई है।

विभागीय जाँच :

विभाग के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी कार्यपालिक वर्ग का एक तृतीय श्रेणी लिपिक वर्ग के दो तथा चतुर्थ श्रेणी का एक प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है।

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :

दिनांक 31-12-05 तक 101 न्यायालयीन प्रकरणों में से 94 प्रकरणों में जबाबदावा प्रेषित किया जा चुका है, तथा 7 प्रकरणों में जबाबदावा प्रेषित करना शेष है। 37 प्रकरणों पर निर्णय हो चुका है। मान. न्यायालय के निर्णय अनुसार शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यवाही की जा रही है। 1 अवमानना के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में विचारीधीन है। संबंधित प्रकरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में शासन की ओर से एस.एल.पी. प्रस्तुत की गई है।

स्थानान्तरण –

दिनांक 1-4-2005 से 31-12-2005 की स्थिति में 4 प्रथम श्रेणी अधिकारी, 8 द्वितीय श्रेणी अधिकारी, 30 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक संवर्ग 12 तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय संवर्ग तथा 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये।

संसदीय एवं विधि विषयक कार्य की जानकारी –

वर्ष 2005 में 4 विधान सभा प्रश्न प्राप्त हुये थे, जिनमें 2, तारांकित एवं 2 अतारांकित प्रश्न थे, चारों विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किये गये। कोई विधेयक, शून्य कालीन सूचना, अपूर्ण उत्तर, एवं आश्वासन लंबित नहीं है।

वेबसाइट –

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रोग्रामर को विभाग का वेब मैनेजर घोषित किया गया है। विभाग की वेब साईट पर विभाग के महत्वपूर्ण प्रकाशन, नियम इत्यादि की जानकारी प्रदर्शित की गयी है। हाल ही में सांसद निधि से संबंधित जानकारी तथा विभाग का गत वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन भी प्रदर्शित किया गया है। विभाग की वेब साईट का Address : <http://www.mp.nic.\des> है।

अधीनस्थ कार्यालय –

21 सितम्बर, 2001 से राज्य शासन द्वारा जिला योजना एवं जिला सांख्यिकी कार्यालयों को एकीकृत कर जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय घोषित किया है। जिसके अधीन जिलों के जनपदों में खण्डस्तर अन्वेषक कार्यरत है। वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण परिशिष्ट-तीन में दर्शाया गया है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के दायित्व –

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, विकास से संबंधित आधारभूत समकों का संकलन तथा प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि के द्वारा समाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने का महत्वपूर्ण दायित्व आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का है । शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना एवं विकास योजनाओं के लिये महत्वपूर्ण सांख्यिकी को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी इसी संचालनालय का है । उपरोक्त कार्यों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय हेतु नोडल एजेंसी/शीर्षस्थ अभिकरण घोषित किया है ।

राज्य शासन ने संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) मध्यप्रदेश का दायित्व भी सौंपा है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के कार्य एवं गतिविधियां –

(I) सामान्य जानकारी –

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों संबंधी आधारभूत समकों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है । साथ ही, राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन नियमित रूप से करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा चाहे गये सर्वेक्षण / मूल्यांकन अध्ययनों का संपादन भी संचालनालय के महत्वपूर्ण कार्य हैं । इनके अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का दायित्व इसी संचालनालय का है । सांख्यिकी संकलन से संबंधित अधिनियमों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948) तथा सांख्यिकी अधिनियम, 1953
2. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं उसके अंतर्गत स्थापित नियम
3. मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999

“नोडल” दायित्वों के अंतर्गत संचालनालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्धारण, सांख्यिकी संकलन करने तथा उनमें गुणात्मक सुधार लाने के लिये विभिन्न विभागों के राज्य, जिला तथा जपनद स्तरीय सांख्यिकी तंत्र के समंक संकलन, सारणीयन, समंक प्रकाशन के

बारे में आवश्यक परामर्श देने का कार्य किया जाता है । योजनाओं के सविन्यास हेतु समय-समय पर राज्य शासन की सांख्यिकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों के सांख्यिकी तंत्र द्वारा उपयोग में लाये जा रहे प्रपत्रों में सुधार हेतु सुझाव देने का दायित्व भी संचालनालय को सौंपा गया है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुसरण करता है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन, महारजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) तथा योजना आयोग के अनुदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का संकलन, निर्धारित प्रारूपों में प्रकाशनों को जारी करना, राष्ट्रीय स्तर की सर्वेक्षण अनुसूचियों द्वारा सर्वेक्षण संपादित करना तथा अन्य समाजार्थिक सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन अध्ययनों को प्रतिपादित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं ।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार द्वारा सुझाई गई कार्य पद्धति के अनुसार राज्यीय आय (शुद्ध/सकल घरेलू उत्पाद) के अनुमान भी तैयार किये जाते हैं ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी तंत्र का सुदृढीकरण किया जाकर प्रशासन, योजनाविद् तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराई जाना है । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष 2005-2006 की वार्षिक योजना का वित्तीय प्रावधान रूपये 34.50 लाख रखा गया है, जिसमें (अ) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन (ब) संगणक सेवाएं (स) जिला सांख्यिकी तंत्र का सुदृढीकरण तथा (द) सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण इत्यादि योजनाएं सम्मिलित की गई हैं ।

(II) संचालनालय के प्रमुख कार्य एवं विशेषताएं

1. राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन -

राज्य की समाजार्थिक स्थिति और उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन "मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण" नामक प्रकाशन में किया जाता है । इस प्रकाशन के लिये संबंधित विभागों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अद्यतन सांख्यिकी जानकारी का उपयोग किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्यीय अर्थव्यवस्था (राज्यीय आय), कृषि उत्पादन, पशुपालन एवं दुग्ध, मत्स्य विकास, वानिकी, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से सम्बंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी जाती है । इसके अतिरिक्त राज्य शासन के आयव्ययक की समीक्षा, आलेख एवं तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत

की जाती है । वर्ष 2005-06 का प्रकाशन विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया है ।

2. राज्यीय आय के अनुमान

राज्य की अर्थव्यवस्था के उद्योग-समूहवार विश्लेषण में क्षेत्रीय लेखा सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है । राज्य के समाजार्थिक क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था एवं विकास के स्तर के मूल्यांकन के लिए राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ही एक महत्वपूर्ण संकेतक हैं साथ ही यह सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था के नियंत्रण एवं विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ठोस आधार है । राज्य की अर्थ व्यवस्था का पूर्ण एवं सापेक्ष निष्पादन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है । राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण राष्ट्र एवं राज्यों के लिये सुझाई गई कार्य पद्धति के अनुसार तैयार किये जाते हैं । अनुमानों का वित्त आयोग एवं योजना आयोग द्वारा भी उपयोग किया जाता है । मध्यप्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद के वर्ष 1993-1994 से 2004-2005 के अनुमान प्रचलित एवं स्थिर (1993-94) भावों पर तैयार किये गये हैं ।

प्रचलित भावों के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2003-2004 में 98123.74 (प्रावधिक) करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2004-2005 में 103056.74 (त्वरित) करोड़ रुपये अनुमानित है । इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 5.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । स्थिर (1993-94) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2003-2004 में 58332.08 (प्रावधिक) करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004-2005 में रुपये 60324.46 (त्वरित) करोड़ अनुमानित है । इस प्रकार वर्ष 2004-2005 में पिछले वर्ष की तुलना में 3.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।


शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर वर्ष 2003-2004 में 87395.77 (प्रावधिक) करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2004-2005 में 91432.31 (त्वरित) करोड़ रुपये अनुमानित है । इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 4.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । स्थिर (1993-94) भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2003-2004 में 51900.15 (प्रावधिक) करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004-2005 में रुपये 53538.85 (त्वरित) करोड़ अनुमानित है । इस प्रकार वर्ष 2004-2005 में पिछले वर्ष की तुलना में 3.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भावों पर वर्ष 2004-2005 में 14069 (त्वरित) रुपये रही, जबकि वर्ष 2003-2004 में यह 13722 (प्रावधिक) रूपयें थी, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 2.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी प्रकार स्थिर (1993-94) भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2003-04 में 8149 (प्रवधिक) रूपयें से बढ़कर वर्ष 2004-2005 में 8238 (त्वरित) रूपयें हो गई, जो कि 1.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है ।


प्रदेश की अर्थव्यवस्था में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर (1993-94) भावों पर वर्ष 1993-94 से 2004-2005 तक की अवधि में 3.98 प्रतिशत तथा इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 1.82 प्रतिशत रही है ।

मध्य प्रदेश का साधन लागत पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

24



मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद



(प्रा) : प्रावधिक अनुमान

(त्व.) : त्वरित अनुमान

▲ प्रचलित भावों पर ■ स्थिर (1993-94) भावों पर

3. राज्य शासन के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण

राज्य शासन के बजट लेखों का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण में शासन के संव्यवहारों को नये सिरे से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, जिससे इन संव्यवहारों के आर्थिक महत्व का आंकलन किया जा सके । आर्थिक वर्गीकरण राज्य शासन के व्यय तथा प्राप्तियों को आर्थिक श्रेणियों द्वारा प्रदर्शित करता है, जो कि अर्थव्यवस्था पर शासन के संव्यवहारों के सामान्य प्रभाव को विश्लेषण करने के लिये महत्वपूर्ण है । उद्देश्यवार वर्गीकरण शासन के व्यय को उसके प्रमुख उद्देश्यानुसार दर्शाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि । इन दोनों को मिलाने से आर्थिक सह-उद्देश्यवार वर्गीकरण बनता है । इस प्रकार का वर्गीकरण यह दर्शाता है कि एक विशेष उद्देश्य जैसे शिक्षा के लिये व्यय को कैसे आर्थिक श्रेणी में बाँटा जाता है तथा यह भी दर्शाता है कि एक विशेष आर्थिक श्रेणी, जैसे पूंजी निर्माण में व्यय को कैसे विभिन्न उद्देश्यों या प्रदाय की गई लोक सेवाओं में आवंटित किया गया है । विकास के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सर्वोत्तम संभव विधि में व्यय की योजना बनाते समय, आर्थिक सह-उद्देश्यवार वर्गीकरण नीति निर्माणकर्ताओं के लिये बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है ।

4. सर्वेक्षण कार्य


आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिये समय-समय पर सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है । राज्य शासन या केन्द्रीय शासन द्वारा सर्वेक्षण/मूल्यांकन की आवश्यकता प्रतिपादित होने पर सर्वेक्षण कार्य किया जावेगा ।

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन के विभिन्न सर्वेक्षण कार्यक्रमों में केन्द्रीय शासन के समान न्यादर्श आधार पर, मध्य प्रदेश भी भाग ले रहा है । जुलाई 2004 से जून 2005 तक 61 वें दौर का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया, जिसके अन्तर्गत परिवार उपभोक्ता व्यय, रोजगार एवं बेरोजगारी पर ग्रामीण न्यादर्श 384 एवं नगरीय न्यादर्श 208 कुल 592 न्यादर्शों का सर्वेक्षण किया गया ।

जुलाई 2005 से 62 वें दौर का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि जून 2006 तक किया जावेगा । 62 वें दौर में ग्रामीण न्यादर्शों की संख्या 216 एवं नगरीय न्यादर्शों की संख्या 296 है इस प्रकार कुल 512 न्यादर्श है । उक्त दौर में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, रोजगार एवं बेरोजगार एवं विनिर्माण पर सर्वेक्षण किया जा रहा है । जुलाई 2005 में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण एवं सेमिनार आयोजित किये गये ।

मध्यप्रदेश राज्य शासन के आय-व्ययक का उद्देश्यवार वर्गीकरण

2003-2004 (लेखा)
(प्रतिशत)



- सामान्य लोक सेवाएँ
- रक्षा
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- सामाजिक सुरक्षा एवं जन कल्याण सेवाएँ
- आवासीय एवं अन्य सामुदायिक मूल सुविधएँ
- सांस्कृतिक, मनोविनोद एवं धार्मिक सेवाएँ
- आर्थिक सेवाएँ
- अन्य सेवाएँ

5. जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य

भारत शासन द्वारा केन्द्रीय कानून जन्म-मृत्यु अधिनियम, 1969 के अधीन जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य कराया जा रहा है । इस अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (म.प्र) नियम, 1973 बनाये गये थे जिसके अनुसार 1 नवम्बर, 1974 से जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य राज्य में संपादित हो रहा था । किन्तु भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन की नवीन व्यवस्था 1-1-2000 से प्रारंभ की गई, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य म.प्र. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 के अनुसार संपादित किया जा रहा है । प्रदेश में संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) बनाया गया है एवं जिनके मार्गदर्शन में जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों को जिला रजिस्ट्रार का दायित्व सौंपा गया है ।

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 1-1-2004 से जन्म-मृत्यु पंजीयन व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया गया है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य 22942 ग्राम पंचायतों तथा 313 जनपद पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है । जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रजिस्ट्रार एवं पंचायत सचिव/कर्मी को उप-रजिस्ट्रार घोषित किया गया है । मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पूर्ववत् ही है । जिसके अनुसार शहरी क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत एवं केन्टोनमेंट बोर्ड में किया जाता है । शहरी रजिस्ट्रीकरण इकाईयों की संख्या 348 है । इस प्रकार पूरे मध्यप्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय कुल 23603 रजिस्ट्रीकरण इकाईयां हैं ।

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देशानुसार जन्म प्रमाण पत्र वितरण के राष्ट्रीय अभियान में मध्यप्रदेश में माह सितम्बर, 2005 अंत तक 76,45,781 जन्म प्रमाण पत्र वितरित किये गये ।


दिनांक 1-1-2004 से नवीन पंजीयन व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला अन्तर्विभागीय समन्वय समिति का अध्यक्ष घोषित किया है । इस समिति में अन्य विभागों के जिला स्तर के अधिकारी भी नामांकित हैं । इस समिति का मुख्य कार्य समय-समय पर जिले में जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य की समीक्षा करना तथा इस कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करना है ।

पंजीयन कार्य में गुणात्मक
एवं संख्यात्मक सुधार के
निरन्तर प्रयास किये जा रहे
हैं । इसी संदर्भ में वर्ष 2004
में पंजीयन इकाईयों का सघन
निरीक्षण किया गया
जिला / जनपद पंचायत स्तर
पर प्रशिक्षण एवं जनजागृति
हेतु प्रचार-प्रसार कार्य किये
गये । जिसके परिणाम स्वरूप
जन्म पंजीयन में 24.27


प्रतिशत एवं मृत्यु पंजीयन में
– 5.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई
है ।

मध्यप्रदेश में जन्म एवं मृत्यु दर (प्रति हजार)

जन्म दर (प्रति हजार)



मृत्यु दर (प्रति हजार)



जन्म-मृत्यु घटनाओं का पंजीयन :

प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी पंजीयन इकाईयों में वर्ष 2004 में दर्ज जन्म, मृत्यु एवं शिशु मृत्यु घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है :-

मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4
जन्म	556922	424801	981723
मृत्यु	204250	103975	308225
शिशु मृत्यु	15256	4530	19786

मध्यप्रदेश में जन्म एवं मृत्यु दर :

वर्ष	जन्म दर (प्रति हजार)	
	ग्रामीण	नगरीय
1999	33.1	23.6
2000	33.4	23.5
2001	32.9	23.1
2002	32.3	22.7
2003	32.1	22.5

मृत्यु दर :

वर्ष	मृत्यु दर (प्रति हजार)	
	ग्रामीण	नगरीय
1999	11.1	7.6
2000	11.1	7.5
2001	10.8	7.2
2002	10.5	7.2
2003	10.4	7.1

उक्त दरें न्यादर्श पंजीयन (एस.आर.एस.) योजना पर आधारित ।

**वर्ष 2005 में अतिरिक्त
रूप से जनपद पंचायत एवं
पंचायत स्तर के
अधिकारियों / कर्मचारियों को**

जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया । वर्ष में आयोजित महत्वपूर्ण बैठकें निम्नानुसार हैं :

1. दिनांक 9 से 11 अगस्त, 2004 को जिला रजिस्ट्रारों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
2. दिनांक 27 एवं 28 अगस्त, 2004 को जिला रजिस्ट्रारों तथा नगरीय रजिस्ट्रारों की समीक्षा बैठक भोपाल में आयोजित की गई ।
3. दिनांक 15-12-2004 को विभागीय मंत्रीजी द्वारा जीवनांक कार्य की समीक्षा की गई ।
4. दिनांक 12-1-2005 को प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा शासन के पंचायत एवं समाज कल्याण, नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव तथा यूनीसेफ एवं मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालयों के अधिकारियों की बैठक की ।

मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण पत्र :

सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अंतर्गत जन्म-मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन के साथ ही मृत्यु के कारणों की चिकित्सीय प्रमाण पत्र, अधिनियम के तहत अस्पतालों में घटित मृत्यु की घटनाओं के लिये चिकित्सकों द्वारा जारी करना अनिवार्य किया गया है । वर्ष 2004 में जिलों से लगभग 22,000 मृत्यु के कारणों के चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए जिन पर मृत्यु के कारणों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार कोडिंग एवं विश्लेषण का कार्य किया गया ।

6. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की स्थिति

प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, विभागध्यक्षों एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण) में कार्यरत वेतन भोगियों को सम्मिलित किया गया है । गणना की संदर्भ अवधि 31 मार्च है ।

(31 मार्च की स्थिति)

क्र.	प्रशासनिक क्षेत्र	2002	2003	2004
1	2	3	4	5
1	शासकीय विभाग (नियमित)	504863	498929	494131
2	राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध शासकीय संस्थान	102691	94875	92993
3	नगरीय स्थानीय निकाय	62163	63207	66091
4	ग्रामीण स्थानीय निकाय	88362	89709	94296
5	विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1825	1846	1810
6	विश्वविद्यालय	9041	8820	8947
	योग	768945	757386	758268

7. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक :

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1982=100 पर राज्य/केन्द्रवार पांच केन्द्रों यथा – बालाघाट, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं छिन्दवाड़ा के तथा कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986-87=100) राज्य के लिये लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त शहरी अश्रमिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1984-85=100) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली द्वारा तैयार किये जाते हैं ।

औद्योगिक कामगारों के खाद्य एवं सामान्य समूह के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1982=100 पर मध्यप्रदेश राज्य के पांच केन्द्रों यथा – बालाघाट, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं छिन्दवाड़ा के साथ-साथ अखिल भारत के लिये भी तैयार किये जाते हैं । इन पांचों केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अध्ययन से स्पष्ट है कि गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में खाद्य समूह की अपेक्षा सामान्य समूह के सूचकांक में वृद्धि अधिक रही । वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में गत वर्ष की तुलना में खाद्य समूह के सूचकांक में सर्वाधिक वृद्धि 2.01 प्रतिशत की भोपाल केन्द्र में देखी गई और खाद्य समूह सूचकांक गत वर्ष के 498 से बढ़कर वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में 508 हो गया जबकि जबलपुर केन्द्र ऐसा रहा जहां खाद्य समूह के सूचकांक वर्ष 2004 के अनुरूप वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में सबसे कम वृद्धि 0.86 प्रतिशत की रही और सूचकांक वर्ष 2004 के 464 से बढ़कर वर्ष 2005 में (9 माह का औसत) 468 रहा ।

औद्योगिक श्रमिकों के सामान्य समूह सूचकांक के अंतर्गत वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में गत वर्ष से सर्वाधिक वृद्धि जबलपुर केन्द्र में 5.51 प्रतिशत एवं सबसे कम वृद्धि बालाघाट केन्द्र में 1.52 प्रतिशत की देखी गई और इस अवधि में इन दोनों केन्द्रों का सूचकांक गत वर्ष के क्रमशः 508 एवं 459 से बढ़कर वर्ष 2005 (9 माह का औसत) के क्रमशः 536 एवं

466 हो गया । इसी अवधि में राज्य के केन्द्रों के अनुरूप अखिल भारत स्तर पर भी खाद्य एवं सामान्य दोनों ही समूहों में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई लेकिन वृद्धि की यह गति खाद्य समूह की अपेक्षा सामान्य समूह सूचकांक में अधिक रही । अखिल भारत स्तर पर खाद्य एवं सामान्य समूह के सूचकांकों में गतवर्ष से वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में क्रमशः 1.79 एवं 3.

31 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और इन दोनों समूहों का सूचकांक गत वर्ष में क्रमशः 504 एवं 514 से बढ़कर वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में क्रमशः 513 एवं 531 हो गया

|

शहरी अश्रमिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1984-85=100 पर राज्य के चार केन्द्रों यथा - भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर तथा अखिल भारत के लिये तैयार किये जाते हैं । इन सूचकांकों के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में राज्य के समस्त केन्द्रों के सूचकांकों की अपेक्षा अखिल भारत स्तर पर के सूचकांकों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है । इस अवधि में सर्वाधिक वृद्धि 4.26 प्रतिशत की इन्दौर केन्द्र में अंकित की गई और इस केन्द्र का सूचकांक गत वर्ष के 423 से बढ़कर वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में 441 हो गया । इसी प्रकार सबसे कम वृद्धि 3.05 प्रतिशत की भोपाल केन्द्र में देखी गई और इस केन्द्र का सूचकांक गत वर्ष के 393 से बढ़कर वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में 405 हो गया । इसी अवधि में अखिल भारत स्तर पर भी सूचकांकों में वृद्धि राज्य के केन्द्रों के आस पास ही देखी गई । वर्ष 2004 से वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में अखिल भारत स्तर पर 3.47 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और इस अवधि में सूचकांक गत वर्ष के 432 से बढ़कर वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में 447 हो गया ।

लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के लिये कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986-87=100 पर तैयार किये जाते हैं । यह सूचकांक खाद्य एवं सामान्य दोनों समूहों के लिये तैयार किये जाते हैं । उक्त सूचकांकों के अंतर्गत वर्ष 2004 की अपेक्षा वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में राज्य के कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य एवं सामान्य समूह सूचकांक की तुलना में अखिल भारत स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सूचकांक में वृद्धि की गति अपेक्षाकृत कम रही है । इस अवधि में राज्य

के कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूहों के सूचकांकों में गत वर्ष से वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में क्रमशः 5.03 एवं 5.02 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और इन समूहों के सूचकांक गत वर्ष से क्रमशः 318 एवं 319 से बढ़कर वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में क्रमशः 334 एवं 335 हो गए । इस अवधि में कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य समूह के सूचकांक में गत वर्ष से वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में क्रमशः 4.97 एवं 4.57 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और इन समूहों के सूचकांक गत वर्ष से क्रमशः 322 एवं 328 से बढ़कर वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में क्रमशः 338 एवं 343 हो गए । अखिल भारत स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य समूह सूचकांक में गत वर्ष से वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में क्रमशः 2.37 एवं 2.06 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और सूचकांक क्रमशः 345 एवं 347 रहे । इसी अवधि में कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह सूचकांक में गत वर्ष से वर्ष 2005 (9 माह का औसत) में क्रमशः 1.81 एवं 1.51 प्रतिशत की वृद्धि रही और इन दोनों समूहों का सूचकांक क्रमशः 337 एवं 337 रहे ।

8. औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक :

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार की वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण की क्षेत्रीय इकायों से प्राप्त अनुसूचियों की परिनिरीक्षण उपरान्त औद्योगिक समंको का उद्योग समूह अनुसार जिलेवार संकलन एवं संग्रहण कर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण "**Annual Survey of Industries**" नामक प्रकाशन तैयार कर प्रकाशित किया जाता है ।

क्षेत्रीय इकायों से वर्ष 2001-02 की अनुसूचियाँ प्राप्त की जाकर परिनिरीक्षण का कार्य प्रगति पर है परिनिरीक्षणोपरांत "**Annual Survey of Industries**" वर्ष 2001-02 प्रकाशित किया जावेगा ।

राज्यीय आय संभाग के लिए कुल कर्मी, कुल कर्मचारी, कुल लागत, कुल निर्गत, मूल्य ह्रास एवं शुद्ध आवर्धित मूल्य के समंक तैयार कर राज्यीय आय संभाग को प्रदाय किये जाते हैं । वर्ष 2003-04 के लिये यह जानकारी समय पर राज्यीय आय संभाग को प्रदाय की गई ।

वर्ष 2003-04 की राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संभाग क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अनुसूचियों का परिनिरीक्षण संधारण किया गया ।

9. महिला नीति :

महिला नीति के दिशा निर्देशों के अनुरूप आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष शासकीय कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों एवं विश्वविद्यालय आदि में महिलाओं की भागीदारी के आंकड़ें संकलित किये जाते हैं । संचालनालय द्वारा प्रदेश में जन्म-मृत्यु पंजीयन का महत्वपूर्ण कार्य भी संपादित किया जाता है, इसके अंतर्गत जन्म प्रमाण-पत्र में पिता के साथ-साथ माता के नाम का भी उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है ।

10. प्रशिक्षण :

वर्ष 2004-2005 के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशासन अकादमी भोपाल, राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद तथा भारत सरकार के योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रशिक्षण दिलाये गये ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत शासन द्वारा आयोजित कनिष्ठ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली द्वारा अगस्त, 2005 में देहरादून में आयोजित बजट विश्लेषण की नई पद्धति की क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में संचालनालय के अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया।

सेटेलार्ड के माध्यम से समस्त जिला रजिस्ट्रार एवं जन सामान्य को जीवनांक संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

विभागीय प्रशिक्षण के अंतर्गत तकनीकी विषयों पर 159 जिला योजना अधिकारी/सहायक संचालक/सहायक सांख्यिकी अधिकारियों/अन्वेषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

11. प्रमुख सांख्यिकी

संचालनालय द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित प्रमुख सांख्यिकी जानकारी संकलित कर संकेतांक तैयार किये जाते हैं। इस प्रयास में राज्य की जनसंख्या, जन्म-मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, कृषि, विद्युत, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य परिवहन एवं संचार क्षेत्र की संकलित जानकारी का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण संकेतांक के रूप में दिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

मद	इकाई	वर्ष	मध्य प्रदेश	भारत
1	2	3	4	5
जनसंख्या				
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	जनगणना 2001	196	313
पुरुष स्त्री अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं)	संख्या	2001	919	933
दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर	प्रतिशत	1991-2001 जनगणना	24.3	21.3
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	2001	73.5	72.2
कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	2001	42.7	39.1
कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	2001	37.1	31.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	2001	15.2	16.2
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत	2001	20.3	8.2

मद	इकाई	वर्ष	मध्य प्रदेश	भारत
1	2	3	4	5
साक्षरता		जनगणना		
कुल साक्षर	प्रतिशत	2001	63.7	64.8
पुरुष	प्रतिशत	2001	76.1	75.3
स्त्री	प्रतिशत	2001	50.3	53.7
ग्रामीण	प्रतिशत	2001	57.8	59.4 (प्रा.)
नगरीय	प्रतिशत	2001	79.4	80.3 (प्रा.)
जीवनांक (न्यादर्श पंजीयन)				
जन्म दर	प्रति हजार व्यक्ति	2003	30.2	24.8
मृत्यु दर	प्रति हजार व्यक्ति	2003	9.8	8.10
शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	2003	82	60
प्रति व्यक्ति आय				
प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर	रूपये	2003-2004 (त्व.)	14011	20989
स्थिर (1993-94) भावों पर	रूपये	2003-2004 (त्व.)	8284	11799
कृषि एवं सिंचाई				2002-2003 (प्रा.)
प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन	किलोग्राम	2003-2004	249.20	165.1
कृषि गहनता	प्रतिशत	2003-2004	132	1999-2000 (प्रा.) 134
कुल बोये गये क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र	प्रतिशत	2003-2004 (अ)	75.6	74.4
शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत	प्रतिशत	2003-2004	37.4	1999-2000 (प्रा.) 40.2
प्रति हेक्टर फसली क्षेत्रफल पर उर्वरक का उपयोग	किलोग्राम	2003-2004	49.4 (प्रा.)	2001-2002 (प्रा.) 96.1

मद	इकाई	वर्ष	मध्य प्रदेश	भारत
1	2	3	4	5
विद्युत				2003-2004
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	कि. वा. घंटे	2004-2005	265 (प्रा.)	336
कुल आबाद ग्रामों में विद्युतीकृत ग्राम (1991 जनगणना)	प्रतिशत	2004-2005	97 (प्रा.)	2003-2004(प्रा.) 84
बैंक				
प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक/शाखाएं	संख्या	31 मार्च, 2005	5	6
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रूपये	—''—	7312	16085
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रूपये	—''—	4054	10623
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत		55.4	66.0
परिवहन एवं संचार				31 मार्च 2002
अ-परिवहन (लोक निर्माण विभाग की सड़कों)	कि. मी.	—''—	23	75
प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल सड़कों की लम्बाई	कि. मी.	—''—	19	43
प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पक्की सड़कों की लम्बाई	संख्या	31 मार्च, 2005	64	2001-2002 57
प्रति हजार जनसंख्या पर पंजीकृत वाहन	संख्या	2004-2005	7788	2002-03 6781
ब-संचार				
प्रति डाकघर द्वारा सेवित जनसंख्या	संख्या	2004-2005	26*	71*
प्रति हजार जनसंख्या पर दूरभाष				

(प्रा.) = प्रावधिक, (अ.) = अनुमानित, (प्रा. पु.) = प्रावधिक पुनरीक्षित, (त्व.) = त्वरित

* = सेलुलर डब्लू.एल. कनेक्शन सहित ।

टीप : म. प्र. एवं अखिल भारत के संकेतांक तैयार करने हेतु संबंधित वर्षों की अनुमानित जनसंख्या एवं जनगणना 2001 का उपयोग किया गया है ।

भाग – 2

बजट विहंगावलोकन –

आलोच्य वर्ष 2005-06 में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय की विभिन्न सांख्यिकी गतिविधियों को संपन्न कराने हेतु आयोजनेत्तर बजट प्रावधान रूपये 1834.00 लाख रखा गया है। इसके अतिरिक्त आयोजना शीर्ष में राज्य आयोजनान्तर्गत पाँच सांख्यिकी योजनाओं हेतु रूपये 34.50 लाख स्वीकृत है।

संचालनालय की वर्ष 2005-06 के बजट संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

(लाख रूपयों में)

क्र	योजना शीर्ष	2005-2006			
		स्वीकृत बजट प्रावधान	पुनरीक्षित अनुमान (प्रस्तावित)	अनुमानित व्यय (31-12-05) की स्थिति	बजट प्रावधान 2006-07 (प्रस्तावित)
1	2	3	4	5	6
मांग संख्या – 31					
शीर्ष – 3454					
अ- आयोजनेत्तर		1834.00	1805.89	1100.37	1914.83
योग अ- आयोजनेत्तर		1834.00	1805.89	1100.37	1914.83
ब- राज्य आयोजना					
1	6562- जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	23.00	23.00	23.00	25.00
2	6564- जिला सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढीकरण	1.00	1.00	1.00	1.00
3	6293- सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.00	1.00	.83	1.00
4	8740- जीवनांक संभाग का सुदृढीकरण	2.00	2.00	1.81	2.27
5	8808- सूचना प्रौद्योगिकी	1.00	1.00	—	1.00
6	4273- संगणक सेवाएँ	6.40	6.40	2.92	6.40
योग (ब) आयोजना		34.40	34.40	29.56	36.67
भारित		0.10	0.10	—	0.10
योग (अ) + (ब)		1868.40	1840.29	1129.93	1951.50
भारित		0.10	0.10	—	0.10

भाग – 3

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं –

अ – राज्य योजनाएं –

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा जो राज्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका उद्देश्य राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी तंत्र का सुदृढीकरण किया जाकर उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध करवाई जाना है । राज्य योजनाओं का विवरण तथा गत तीन वर्षों के लिये योजना प्रावधान, बजट एवं व्यय संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

संचालनालय की वर्ष 2005-2006 के बजट संबंधी जानकारी

(लाख रूपयों में)

क्र	योजना का नाम	वर्ष 2003-2004			वर्ष 2004-2005			वर्ष 2005-2006 (अनुमानित व्यय)		
		योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय	योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय	योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8740 – जीवनांक संभाग का सुदृढीकरण	2.00	2.00	1.35	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.81
2	4273 – संगणक सेवायें	6.80	6.80	4.11	6.40	6.40	5.20	6.40	6.40	2.92
	(भारित)	0.10	0.10		0.10	0.10		0.10	0.10	
3	6293 – सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	1.00	1.00	–	1.00	1.00	–	1.00	1.00	83 अ.
4	6562 जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कार्यान्वय	23.00	23.00	22.24	23.00	23.00	9.27	23.00	23.00	23.00 अ.
5	6564 – जिला सांख्यिकीय कार्यालयों का सुदृढीकरण	2.00	2.00	–	1.00	1.00	–	1.00	1.00	1.00 अ.
6	8808 सूचना प्रौद्योगिक	–	–	–	1.00	1.00	–	1.00	1.00	–

(*) (31-12-2005 की स्थिति)

ब – केन्द्र क्षेत्र योजना –

(लाख रूपयों में)

क्र	योजना का नाम	वर्ष 2003-2004			वर्ष 2004-2005			वर्ष 2005-2006		
		योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय	योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय	योजना प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य (7865)- मृत्यु से संबंधित आंकड़ों का सुदृढ़ीकरण	—	—	—	1.69	1.69	—	1.69	1.69	—
2	(800)- अन्य व्यय 0801 - केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 7866 - 5 वीं आर्थिक गणना	—	—	—	502.42	502.42	56.92	519.04	519.04	32913
	योग	—	—	—	504.11	504.11	56.92	520.73	520.73	32913

भाग – 4

सामान्य प्रशासनिक विषय –

(जाँच समितियां, किये गये अध्ययन आदि अंकित किये जावें)

निरंक

भाग – 5

अभिनव योजना

मध्य प्रदेश शासन की अधिकृत वेब साइट पर आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की गई है । सांख्यिकी प्रकाशनों की अद्यतन सूची के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रकाशन भी उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित किये गये हैं । विभाग से संबंधित नियम, अधिनियम तथा सांसद निधि से संबंधित जानकारियां भी इंटरनेट वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं ।

भाग – 6

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर से नियमित रूप से निकाले गये/जा रहे हैं, प्रमुख प्रकाशन निम्नानुसार है :-

1. मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2005–2006

राज्य की वर्तमान समाजार्थिक स्थिति के आधार पर यह प्रकाशन संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष तैयार कर बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति और विभिन्न विभागों की गतिविधियों के संबंध में विश्लेषणात्मक समीक्षा की जाती है। प्रकाशन में मुख्यतः राज्यीय आय, कृषि, खाद्यान्न उत्पादन एवं वितरण, पशुपालन, वानिकी, ऊर्जा, उद्योग, जल संसाधन, बैंक, श्रम एवं रोजगार, ग्रामीण विकास, पंचायत एवं समाज सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण आदि विषयों के साथ साथ कार्यरत राजीव गांधी मिशन पर जानकारी का समावेश किया जाता है।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन 31 मार्च, 2005

एक निश्चित तिथि पर प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, श्रेणीवार एवं विभागवार संकलित कर प्रदर्शित की जाती है। अर्द्ध शासकीय एवं स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित जानकारी भी इस प्रकाशन में सम्मिलित की जाती है तथा महिला और पुरुष के नियोजन संबंधी जानकारी को अलग से प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया गया है।

3. मध्य प्रदेश का आय व्यय संक्षेप में 2006–07

इस प्रकाशन में प्रदेश की आय एवं व्यय का ब्यौरा संक्षिप्त रूप से दिया जाता है, जिससे यह ज्ञात करने में सहायता मिलती है कि राज्य शासन के प्रमुख आय के स्रोत कौन-कौन से हैं एवं उस परिप्रेक्ष्य में किन क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से व्यय अधिक होता है। मोटे तौर पर यह प्रदेश की आय-व्यय स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण पत्रक है।

4. मध्यप्रदेश के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण 2003–2004 (लेखा) तथा 2004–2005 (पुनरीक्षित अनुमान)

राज्य शासन के बजट लेखों का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण में शासन के संव्यवहारों को नये सिरे से प्रस्तुत करने का एक प्रयास है, जिसमें इन संव्यवहारों के आर्थिक महत्व का आंकलन किया जा सके। आर्थिक वर्गीकरण में राज्य शासन के व्यय, प्राप्तियों को आर्थिक श्रेणियों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि अर्थव्यवस्था पर सामान्य प्रभावों का विश्लेषण करने के लिये महत्वपूर्ण है। उद्देश्यवार वर्गीकरण शासन के व्यय को उसके प्रमुख उद्देश्यानुसार दर्शाता है जैसे – शिक्षा स्वास्थ्य आदि। इन दोनों को मिलाने से आर्थिक सह-उद्देश्यवार वर्गीकरण बनता है, जो यह दर्शाता है, जैसे शिक्षा के लिये व्यय, को कैसे आर्थिक श्रेणियों में बाँटा जाता है, तथा यह भी दर्शाता है कि एक विशेष आर्थिक श्रेणी, जैसे

– पूंजी निर्माण में व्यय को कैसे विभिन्न उद्देश्यों या प्रदाय की गई लोक सेवाओं में आवंटित किया गया है ।

5. मध्य प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 1993–94 से 2003–2004

राज्य घरेलू उत्पाद (राज्यीय आय) के अनुमान तैयार कर इस प्रकाशन में दिये जाते हैं जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति का आकलन सहजता से किया जा सके । इस प्रकाशन में प्रचलित एवं स्थिर भावों (1993–94) पर अनुमान तैयार कर प्रकाशित किये जाते हैं । साथ ही प्रतिव्यक्ति आय के संबंध में भी जानकारी दी जाती है । व्यापक औद्योगिक क्षेत्रानुसार भी समंक इस प्रकाशन में दिये जाते हैं ।

6. मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख आंकड़े (फोल्डर) 2004

इस प्रकाशन में विभिन्न समाजार्थिक विषयों पर मध्य प्रदेश राज्य के लिये नवीनतम जानकारी एवं साथ में विकास की गति को दर्शाने के लिये समाजार्थिक संकेतक दिये गये हैं ।

7. Compendium of Madhya Pradesh Statistics, 2004

इस प्रकाशन में राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण सांख्यिकी (पाँच वर्षों की) उपलब्ध कराई जाती है जिसमें अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन का सहज रूप से आँकलन हो सके । इस प्रकाशन को इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है ।

8. मध्य प्रदेश में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान (नवीन श्रृंखला) वर्ष 1993–94 से 2002–2003 तक

मध्य प्रदेश के सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान प्रचलित भावों के आधार पर तैयार कर प्रकाशित किये जाते हैं जिससे प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का आँकलन सहजता से किया जा सकता है । मध्य प्रदेश में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 1993–94 से 1999–2000 तक (नवीन श्रृंखला) का प्रकाशन आलोच्य अवधि में प्रकाशित किया गया है ।

9. वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी, 2003

उक्त नियमित प्रकाशनों के अतिरिक्त कुछ तदर्थ प्रकाशन भी मुख्यालय से निकाले गये हैं जो निम्नांकित हैं ।

10. Madhya Pradesh at a Glance, 2004

11. मध्य प्रदेश में कृषि विपणन 2001–2002

12. Estimates of Gross Fixed Capital Formation in M.P. 1993-94 to 2002-2003

13. रेखाकनन मार्गदर्शिका

जिलों द्वारा प्रकाशित किये जा रहे महत्वपूर्ण प्रकाशन :

14. जिला सांख्यिकी पुस्तिका

15. जिले के प्रमुख आंकड़े

16. जनपद पंचायत के प्रमुख आंकड़े

17. जिला विकास पुस्तिका

भाग – 7

सारांश –

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय महत्वपूर्ण आधारभूत आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण के दायित्व को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत रहा तथा विभिन्न विभागों की पहल पर उनके द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन एवं समाजार्थिक स्थिति के अध्ययन हेतु किये गये सर्वेक्षणों पर प्रतिवेदन तैयार करता रहा है, विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्रशासन, शोधकर्ताओं एवं नीति निर्धारकों को उपलब्ध कराई गई । संचालनालय के अधीनस्थ जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र की सांख्यिकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकाशन निकाले गये एवं विकेन्द्रीकृत योजनाओं के लिये आधारभूत सांख्यिकी जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराई गई ।

इस प्रकार आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय राज्य एवं जिला स्तर पर सांख्यिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दायित्व वहन करने में प्रयासरत रहा है ।

परिशिष्ट

राज्य योजना मंडल का स्वरूप

1. अध्यक्ष – माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
2. उपाध्यक्ष – पद वर्तमान में रिक्त है ।
3. अंशकालीन सदस्य – राज्य योजना मण्डल में 9 अंशकालीन सदस्यों का प्रावधान है । जिनकी पूर्ति अभी किया जाना प्रस्तावित है ।
4. पदेन सदस्य :
 1. प्रभारी मंत्री, वित्त, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास
 2. प्रभारी मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
 3. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
 4. अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी/वित्त/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग
5. सदस्य सचिव :-

अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

राज्य योजना मण्डल के स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम श्रेणी						
1.	उपाध्यक्ष	म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित शर्त	1		1	—
2.	सदस्य सचिव	संवर्गीय वेतनमान	1	1	—	—
3.	उप सचिव	10650—15850+ विशेष वेतन	1	1	—	—
4.	अवर सचिव	10000—15200	1	1	—	—
5.	सलाहकार	संवर्गीय वेतनमान	2	2	—	—
द्वितीय श्रेणी						
6.	सहायक सलाहकार	8000—13500	4	4	—	—
7.	लेखाधिकारी	8000—13500	1	1	—	—
8.	प्रशासकीय अधिकारी	6500—10500	1	—	1	—
तृतीय श्रेणी						
9.	निज सचिव	6500—10500	2	1	1	—
10.	निज सहायक	5500—9000	3	3	—	—
11.	शीघ्रलेखक श्रेणी-3	4500—7000	2	2	—	—
12.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500—9000	3	3	—	—
13.	अन्वेषक	4000—6000	7	7	—	—
14.	लेखापाल	4500—7000	1	1	—	—
15.	सहायक ग्रेड-1	4500—7000	2	2	—	—
16.	सहायक ग्रेड-2	4000—6000	4	4	—	—
17.	सहायक ग्रेड-3	3050—4590	6	6	—	—
18.	सुरक्षा गार्ड	3050—4590	4	2	2	—
19.	वाहन चालक	3050—4590	5	4	1	—
20.	जमादार / दफतरी	2610—3540	6	6	—	—
21.	भृत्य	2550—3200	12	12	—	—
22.	स्वीपर	2550—3200	1	1	—	—
23.	फर्राश	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	1	1	—	—
24.	पार्ट टाइम स्वीपर	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर				
योग			73	68	5	—

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय में स्वीकृत एवं भरे हुए पदों की स्थिति

क्र.	पद नाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद				रिक्त
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	प्रतिनियुक्ति	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
अ	प्रथम श्रेणी								
1	संचालक	1	—	1	—	—	—	—	1
2	संयुक्त संचालक	3	—	3	3	—	—	3	—
3	उप संचालक / जिला योजना अधिकारी	08	45	53	12	29	3	44	09
ब	द्वितीय श्रेणी								
4	सहायक संचालक / जिला सांख्यिकी अधिकारी	21	45	66	8	21	7	36	30
5	प्रोग्रामर	2	—	2	1	—	—	1	1
6	लेखाधिकारी	1	—	1	1	—	—	1	—
7	सहायक संचालक (प्रशा.)	1	—	1	1	—	—	1	—
स	तृतीय श्रेणी								
8	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	111	243	354	100	212	42	354	—
9	अन्वेषक / खण्ड स्तर अन्वेषक	87	369	456	84	138	9	231	225
10	संगणक	3	21	24	3	21	—	24	—
11	सहायक प्रोग्रामर	4	—	4	4	—	—	4	—
12	अधीक्षक	3	—	3	1	—	—	1	2
13	सहायक ग्रेड-1	7	—	7	4	—	—	4	3
14	सहायक ग्रेड-2	15	65	80	16	63	—	79	1
15	सहायक ग्रेड-3	43	105	148	43	99	—	142	6
16	कैशियर / लेखापाल	1	—	1	1	—	—	1	—
17	वरीष्ठ निज सहायक	1	—	1	1	—	—	1	—
18	निज सहायक	1	—	1	1	—	—	1	—
19	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	3	—	3	2	—	—	2	1
20	शीघ्र लेखक	4	38	42	3	31	—	34	8
21	स्टेनो टायपिस्ट	10	7	17	5	4	—	9	8
22	पुस्तकाध्यक्ष	1	—	1	—	—	—	—	1
23	अनुवादक	1	—	1	—	—	—	—	1
24	वरीष्ठ कलाकार	1	—	1	1	—	—	1	—
25	कलाकार	2	—	2	1	—	—	1	1
26	फोटोग्राफर	1	—	1	1	—	—	1	—

क्र.	पद नाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद				रिक्त
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	प्रतिनियुक्ति	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
27	टैबुलेटर	2	—	2	—	—	—	—	2
28	सॉर्टर	2	—	2	—	—	—	—	2
29	के.पी.ओ./ व्हेरीफायर	17	—	17	6	—	—	6	11
30	चीफ ऑपरेटर	1	—	1	—	—	—	—	1
31	पंचरूम सुपरवाइजर	1	—	1	—	—	—	—	1
32	वाहन चालक	1	38	39	1	33	—	34	5
	द चतुर्थ श्रेणी								
33	सुपरवाइजर	1	—	1	—	—	—	—	1
34	दफ्तरी	3	—	3	2	—	—	2	1
35	मशीन मैन	1	—	1	1	—	—	1	—
36	भृत्य	52	101	153	52	96	—	148	5
	आकस्मिकता निधि								
37	वाटर मैन/कम फर्राश	2	16	18	—	16	—	16	2
38	चौकीदार	2	—	2	—	—	—	—	2
39	वाहन चालक	5	—	5	3	—	—	3	2
	योग	426	1093	1519	362	763	61	1186	333

टीप : राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-1-20/01/23/आसा दिनांक 7-11-2005, क्रमांक एफ-1-20/01/23/आ.सा. दिनांक 7-12-2005 एवं क्र. एफ-1-20/01/23/आ.सा. दिनांक 26-12-2005 के द्वारा 30 प्रतिशत पदों का कटौती उपरान्त जानकारी दी गई है ।

**आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
में कार्यरत तकनीकी एवं प्रशासनिक संभागों के कार्यों का विवरण**

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
1	2	3
1	प्रशासन	1. सामान्य प्रशासन, स्थापना, लेखा तथा लेखा परीक्षण
2	राज्यीय आय	1. राज्य तथा जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना 2. कृषि, वित्तीय तथा व्यापारिक सांख्यिकी का एकत्रीकरण एवं अनुसंधान/विश्लेषणात्मक अध्ययन
3	औद्योगिक एवं खनिज सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज एवं ऊर्जा सांख्यिकी का एकत्रीकरण 2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों का निर्माण तथा औद्योगिक अनुसूचियों की परीनिरीक्षा
4	आर्थिक विश्लेषण	1. क्षेत्रीय सामाजार्थिक विकास सूचकांक तैयार करना 2. आर्थिक सर्वेक्षण/समीक्षा 3. आर्थिक प्रज्ञान सांख्यिकी का प्रदर्शन
5	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण/सारणीयन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना 2. आर्थिक गणना
6	राज्यीय सर्वेक्षण	1. शासन के कल्याणकारी योजनाओं का सामाजार्थिक सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना
7	सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी समन्वय स्थापित करना 2. विभागीय योजनाएं तैयार करना 3. प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन आदि के लिये नामांकन एवं अनुवर्तन कार्यवाही

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
1	2	3
8	सामाजिक एवं विविध सांख्यिकी	1. गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी, स्वास्थ्य परिवार तथा समाज कल्याण, औद्योगिक, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पर्यावरण, मनोरंजन, जेल, न्यायपालिका, पुलिस, अपराध, श्रम रोजगार तथा विविध सांख्यिकी का एकत्रीकरण एवं सांख्यिकी कोष का निर्माण 2. मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की गणना
9	पूंजी निर्माण	1. पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना 2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण
10	लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययकों का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण 2. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं का सांख्यिकी एकत्रीकरण
11	मूल्य सांख्यिकी एवं बाजार समाचार	1. थोक तथा फुटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा तथा बाजार समाचार अध्ययन
12	समंक सारणीय	1. समंकों का कम्प्यूटरीकरण 2. संचालनालय के प्रकाशनों पर कम्प्यूटर पर संधारण
13	जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 एवं नियम 1999 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 2. मृत्यु के कारणों का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र
14	पुस्तकालय	1. आर्थिक, सांख्यिकी तथा सामाजिक सांख्यिकी से संबंधित पुस्तकों/प्रकाशनों का रखरखाव
15	सांख्यिकी प्रकाशन	1. राज्य स्तरीय नियमित एवं तदर्थ सांख्यिकी प्रकाशनों को तैयार करना एवं प्रकाशित करना
16	जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिला सांख्यिकी कार्यालयों का तकनीकी मार्गदर्शन/परामर्श देना तथा तकनीकी निरीक्षण जिला स्तरीय प्रकाशनों की परिनिरीक्षा एवं गुणात्मक सुधार लाने के उपाय सुझाना